प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 1267/2016

1– राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, पिता भगवती प्रसाद मिश्रा, आयु लगभग 77 वर्ष, सेवानिवृत्त प्रधान आरक्षक, थाना घुमका, निवासी– आदर्श नगर, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव ,छत्तीसगढ़,छत्तीसगढ़

2– रोहिणी प्रसाद, पिता स्व. श्री भुवनेश्वर प्रसाद अग्निहोत्री, आयु लगभग 68 वर्ष, सेवानिवृत्त थाना मुहर्रिर, थाना घुमका, निवासी– आदित्य नगर, दुर्ग, जिला दुर्ग ,छत्तीसगढ़, जिलाः दुर्ग ,छत्तीसगढ़।

...अपीलार्थीगण

विरुद्ध

1– छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः जिला मजिस्ट्रेट, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव,छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

2– हरिदास,पिता झुमुक दास लोधी, आयु लगभग 61 वर्ष, व्यवसाय– कृषि, निवासी– ग्राम धौराभाठा, थाना घुमका, जिला राजनांदगांव,छत्तीसगढ़,जिलाः राजनांदगांव,छत्तीसगढ़,

...प्रत्यर्थीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(वाद–शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया है)

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री विवेक सिंघल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री आर.सी.एस. देव, पैनल अधिवक्ता

माननीय श्री बिभु दत्त गुरु, न्यायाधीश

बोर्ड पर निर्णय

14/10/2025

1. कुल मिलाकर, तीन अभियुक्त व्यक्ति थे, जो वर्तमान अपीलार्थीगण सहित पुलिस कर्मी हैं। यद्यपि, विचारण के दौरान,वी.के. मिश्रा नामक एक अभियुक्त की मृत्यु हो गई और विचारण न्यायालय के समक्ष उनके विरुद्ध कार्यवाही उपशमित कर दी गई।

2. यह सूचित किया गया है कि इस अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी क्रमांक 1– राजेंद्र प्रसाद मिश्रा की मृत्यु हो गई है। तदनुसार, उनके संबंध में प्रस्तुत अपील को उपशमित मानते हुए खारिज किया

जाता है। अब, वर्तमान अपील पर केवल अपीलार्थी क्रमांक 2– रोहिणी प्रसाद के लिए विचार किया जा रहा है।

3. यहाँ यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि इस अपील के लंबित रहने के दौरान, शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी क्रमांक 2 की भी मृत्यु हो गई है।

4. इस अपील में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (अत्याचार निवारण), राजनांदगांव द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 130/2004 में दिनांक 22/09/2016 को पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304–क के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500/– रुपये के अर्थदंड, व्यतिक्रम सशर्त दण्डित किया गया है।

5. मृतक सतुदास, शिकायतकर्ता हरिदास (अ.सा.–1) का भाई, घुमका पुलिस थाने के हवालात के भीतर रस्सी से लटका हुआ पाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी। शासन द्वारा इस प्रकरण में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए थे, परंतु अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। फलस्वरूप, शिकायतकर्ता ने पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय के समक्ष एक शिकायत प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 331 व 306 के अधीन अपराध पंजीबद्ध किए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शिकायत के अनुसार, दिनाँक 08.05.1986 को ग्राम धौराभांठा के पटेल हरिदास ने आरोप लगाया कि अभियुक्तगण थाना घुमका में पदस्थ पुलिस कर्मी थे। दिनाँक 17.11.1985 को अभियुक्तगण, यथा; वी.के. मिश्रा (थाना प्रभारी) (विचारण के दौरान मृत्यु हो गई), राजेंद्र प्रसाद मिश्रा (इस अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई) और वर्तमान अपीलार्थी रोहिणी प्रसाद, थाना मुहर्रिर व अन्य, सरपंच की सूचना पर एक चोरी की जांच करने के लिए ग्राम महरूमखुर्द पहुंचे। उन्होंने शिकायतकर्ता के छोटे भाई सतुदास (अब मृतक) के घर की तलाशी ली। यद्यपि घर में कोई अभियोगात्मक वस्तु नहीं मिली, फिर भी सरपंच के कहने पर बाड़े से एक टेबल फैन और एक बक्सा बरामद किया गया। उस बक्से और उसके सामान का संबंध सतुदास से बताया गया, और अभियुक्तों द्वारा 2,500/– रुपये रख लिए गए। तत्पश्चात, अभियुक्त वी.के. मिश्रा ने मृतक के एक अन्य घर की तलाशी लेने का प्रयत्न किया, किंतु वह भाग गया और छिप गया। अभियुक्त पुलिस कर्मियों ने जब्त संपत्ति अपने पास रख ली और धमकी देकर शिकायतकर्ता को एक डुप्लीकेट अभिलेख पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। झूठे प्रकरण में फंसाए जाने और अभिरक्षा में हिंसा के डर से, सतुदास ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया, जो दिनाँक 22.11.1985 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। यद्यपि, दिनाँक 21.11.1985 की मध्यरात्रि को अभियुक्त राजेंद्र प्रसाद मिश्रा ने अन्य पुलिस कर्मियों के साथ आधी रात के करीब शिकायतकर्ता के घर में बलपूर्वक प्रवेश किया, सतुदास को हथकड़ी लगाई और शिकायतकर्ता को सूचित किए बिना उसे थाना घुमका ले गए। रास्ते में और थाने में, अभियुक्तों द्वारा सतुदास के साथ मारपीट की गई, जिसमें उसे

थप्पड़ मारना, बाल खींचना और जूतों से पीटना शामिल था, जबकि चोरी के संबंध में उससे पूछताछ की जा रही थी। इसके बाद उसे हवालात में निरुद्ध कर दिया गया और कथित तौर पर एक से दो घंटे तक लगातार प्रताड़ित किया गया। अगली सुबह, अभियुक्त व्यक्तियों ने उसे चेतावनी दी कि यदि उसकी मृत्यु भी हो गई, तो वे सत्यता छिपाने के लिए अभिलेख में हेरफेर कर देंगे । दिनाँक 22.11.1985 को उसके अग्रिम जमानत की सुनवाई के दौरान, पुलिस ने न्यायालय को मिथ्या सूचना दी कि सतुदास के विरुद्ध कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है और जांच के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप, उसकी जमानत खारिज कर दी गई। उसे न तो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही भोजन उपलब्ध कराया गया। दिनाँक 22–23.11.1985 की मध्यरात्रि के दौरान, अभियुक्तों ने कथित तौर पर संस्वीकृति निकलवाने के लिए सतुदास को विद्युत के झटके देने सहित भीषण यातनाएं दीं। दिनाँक 23.11.1985 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण, सतुदास को पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया, जबकि शिकायतकर्ता को न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया। तत्पश्चात, सतुदास पुलिस हवालात में खड़े होने की स्थिति में लटके हुए पाए गए, उनके गले में धोती बंधी थी जो हवालात के दरवाजे से कसी हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शिकायत के आधार पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव ने अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 331, 342 व 306 के अधीन अपराध पंजीबद्ध किया। उन पर औपचारिक रूप से आरोप विरचित किए गए, आरोप पढ़कर सुनाए गए, और उन्होंने निर्दोष होने का अभिवाक किया। अपने प्रकरण को साबित करने के लिए, अभियोजन ने छह साक्षियों का परीक्षण कराया। अभियुक्तों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए, जिसमें उन्होंने सभी आरोपों को अस्वीकार किया। अपने बचाव में, उन्होंने तीन साक्षियों: लोकनाथ (ब.सा.–1), ईश्वरलाल यादव (ब.सा.–2), और सुखचैन दास (ब.सा.–3)का परीक्षण कराया।

मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के सावधानीपूर्वक विवेचना के उपरांत, विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 330, 302 एवं वैकल्पिक रूप से 306 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त करते हुए, इस निर्णय के प्रथम कण्डिका में वर्णित अनुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया। दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निर्णय से असंतुष्ट होकर, अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील प्रस्तुत की है।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को झूठा फंसाया गया है क्योंकि उसके विरुद्ध कोई भी निर्णायक और ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह तर्क किया गया है कि दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है क्योंकि प्रकरण एक निजी शिकायत पर आधारित है, जो मजिस्ट्रियल जांच द्वारा अपीलार्थी को विमुक्त किए जाने के उपरांत प्रस्तुत किया गया था। मृतक ने पुलिस अभिरक्षा में आत्महत्या की थी और अपीलार्थी, जो कि शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्यरत शासकीय सेवक थे, के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अधीन वैध मंजूरी के बिना विचारण नहीं चलाया जा

सकता था। विचारण न्यायालय बचाव पक्ष के साक्ष्यों की उचित विवेचना करने में असफल रहा और भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 330 व 306 जैसे गंभीर आरोपों से दोषमुक्त किए जाने के बावजूद, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304–क के अधीन त्रुटिपूर्ण रुप से दोषसिद्ध किया। अतः, दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।

7. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय और दंडादेश का समर्थन किया, और यह तर्क दिया कि अभियोजन ने ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों के माध्यम से अपीलार्थी के अपराध को युक्तियुक्त से परे स्थापित किया है। अतः यह निवेदन है कि अपील खारिज किए जाने योग्य है।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है एवं अभिलेख का अत्यंत सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया है।

9. विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304–क के अधीन दोषसिद्ध किया गया है, जबकि उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 330 व 306 के अधीन अपराधों से दोषमुक्त किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. भारतीय दंड संहिता की धारा 304–क निम्नानुसार है:

> "304 क. **उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना–** जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

11. अतः, इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ जो प्रश्न प्रोद्भूत होता है, वह यह है:

> क्या अभियोजन ने यह साबित कर दिया है कि मृतक की मृत्यु अपीलार्थी के किसी ऐसे उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण कार्य का प्रत्यक्ष परिणाम थी, जो उस पर आरोपित किया जा सके, ताकि भारतीय दंड संहिता की धारा 304–क के प्रावधान लागू हों?

12. डॉ. विजय कुमार (अ.सा.6) ने मृतक के शव का शवपरीक्षण किया था। अपने अभिसाक्ष्य में, इस साक्षी ने कथन किया कि झुमुक दास के पुत्र संतु दास, आयु लगभग 25 वर्ष, जाति लोधी, निवासी ग्राम चंगोराभाठा, थाना घुमका का शव दिनाँक 24.11.1985 को शाम लगभग 4:00 बजे आरक्षक सुखचैन लाल, क्रमांक 98, थाना घुमका, राजनांदगांव द्वारा अस्पताल लाया गया था। शव की पहचान झुमुक दास (मृतक के पिता), आयु 34 वर्ष; दीनदयाल रामदास, पिता सुमुक दास, निवासी चौराभाठा, घुमका; और कमला प्रसाद, पिता शोभाराम, आयु 52 वर्ष, निवासी घुमका द्वारा की गई थी।

उन्होंने पाया कि मृतक, जो लगभग 25 वर्ष का युवक था, के सभी अंगों में रगर मॉर्टिस मौजूद था। गर्दन के ऊपरी हिस्से पर एक लिगेचर मार्क पाया गया, जिसकी चौड़ाई लगभग 3/4 इंच थी और वह दाहिने ओसीसीपिटल क्षेत्र तक फैला हुआ था। मुँह पर लार देखी गई। कोई अन्य बाह्य चोट या अस्थिभंग नहीं पाया गया। आंतरिक परीक्षण पर, मस्तिष्क स्वस्थ था, और झिल्लियों में हल्का रक्त कंजेशन था। पसलियां, कार्टिलेज, लैरिंक्स और श्वासनली रक्ताभ और कन्जेस्टेड थीं। दोनों फेफड़ों में रक्तस्राव के साथ कंजेशन दिखाई दिया। पेरिकार्डियम स्वस्थ था और हृदय के कक्ष खाली थे। आमाशय और आंतों में आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन था, जिसमें चावल और दाल शामिल थे। गुर्दों में हल्का कंजेशन था, जबकि मूत्राशय, यकृत और तिल्ली स्वस्थ थे। जननांग सामान्य थे। कोई बाह्य चोट, अस्थिभंग या विस्थापन नहीं पाया गया। सर्वाइकल कशेरुक और थायराइड कार्टिलेज सुरक्षित थे। गर्दन पर फंदे का निशान मृत्यु पूर्व था। कंजेशन और अन्य शवपरीक्षण निष्कर्ष फांसी के अनुरूप थे। कोई अन्य बाह्य चोट या अस्थिभंग नहीं देखा गया।

इस साक्षी ने निष्कर्ष निकाला कि मृत्यु का कारण फांसी के कारण श्वासावरोध था। मृत्यु का अनुमानित समय परीक्षण से 24 घंटे पूर्व के भीतर था। शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 है। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक के कपड़े, जिनमें शर्ट और धोती शामिल थी और जिन पर लार लगी थी, उन्हें न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण के लिए संरक्षित किया गया था। विसरा के नमूने, जिनमें यकृत, फेफड़े, हृदय, गुर्दे, तिल्ली और आमाशय शामिल थे, भी संरक्षित किए गए और रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजे गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि मृतक की मृत्यु फांसी लगाने के कारण हुए श्वासावरोध से हुई थी, और शरीर पर कोई बाह्य चोट, अस्थिभंग या मारपीट के अन्य निशान नहीं थे। गर्दन पर फंदे का निशान मृत्यु–पूर्व था और फांसी के अनुरूप था, तथा श्वासावरोध के कारण उत्पन्न कंजेशन को छोड़कर सभी आंतरिक अंग सामान्य पाए गए थे। इस प्रकार, यह स्थापित होता है कि मृतक की मृत्यु फांसी लगाने के कारण हुई थी।

14. अब, इस न्यायालय को मृतक की मृत्यु जो कि आत्महत्या का प्रकरण स्थापित हो चुका है तक ले जाने वाली घटनाओं में अभियोजन द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार अपीलार्थी की भूमिका, यदि कोई हो, का परीक्षण करना आवश्यक है।

15. मृतक के भाई, हरिदास (अ.सा.1) ने अभिसाक्ष्य दिया कि वह अभियुक्तों को जानता था। घटना के समय, वह ग्राम धौराभांठा का पटेल था। दिनाँक 21.11.1985 की रात को, चोरी के आरोपों में राजेंदर प्रसाद मिश्रा सहित पुलिस कर्मियों द्वारा उसे और उसके भाई को उनके घर से थाना घुमका ले जाया गया था। हरिदास ने कथन किया कि उसे भी थाने ले जाया गया था, जहाँ उसने हवालात से मारपीट की आवाज़ें सुनीं। उसने स्वयं अपनी आँखों से मृतक को हवालात के भीतर शारीरिक रूप से प्रताड़ित होते हुए नहीं देखा। इस साक्षी ने आगे बताया कि मृतक ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, किंतु

उसे स्वीकार नहीं किया गया था। उसे थाने में मृतक की मृत्यु की जानकारी होने के बाद ही पता चला। उसने श्मशान घाट पर शव देखा और गर्दन पर फंदे का निशान देखा, जो फांसी के अनुरूप था। हरिदास ने स्पष्ट किया कि शिकायत प्रस्तुत करने से पूर्व, उसने पुलिस द्वारा हत्या का आरोप लगाते हुए कोई लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी, और उसने किसी को अपने भाई की हत्या करते या उसे फांसी पर लटकाते हुए नहीं देखा था। उसने यह भी उल्लेख किया कि मृतक की अभिरक्षा के दौरान थाने में कोई अन्य ग्रामीण या रिश्तेदार मौजूद नहीं थे, और उस समय कुछ पुलिस कर्मी और कोटवार ड्यूटी पर थे। हरिदास ने पुष्टि की कि गर्दन के निशान के अतिरिक्त मृतक के शरीर पर कोई बाह्य चोट नहीं थी।

16. गरीबदास (अ.सा.2) ने अभिसाक्ष्य दिया कि वह राजेंद्र प्रसाद मिश्रा और स्व. वी.के. मिश्रा सहित अभियुक्तों को जानता था और मृतक संतु दास से भी परिचित था। घटना के दिन, सुबह लगभग 9 बजे, वह कुछ ग्रामीणों के साथ हटवारा के पास के ग्रामीण क्षेत्र में गया और देखा कि संतु दास पुलिस हवालात में था, जिसका दरवाजा बाहर से बंद था। जब उनकी उपस्थिति में पुलिस ने हवालात खोला, तो उसने देखा कि मृतक खड़ा था और उसकी गर्दन में एक धोती बंधी हुई थी, जो हवालात के दरवाजे से फंसी हुई थी। उस समय संतु दास की मृत्यु हो चुकी थी। इस साक्षी ने अभिसाक्ष्य दिया कि शव को नीचे उतारने के बाद, गर्दन पर फंदे का निशान स्पष्ट दिखाई दे रहा था और शरीर पर श्वासावरोध के अनुरूप लक्षण थे। उसने स्पष्ट किया कि गर्दन के चारों ओर बंधी धोती और शरीर पर मौजूद धोती एक ही वस्त्र के भाग थे। उसने शरीर पर कोई अन्य वस्तु या चोट नहीं देखी और पुष्टि की कि मृतक को देखने के बाद निरीक्षण अभिलेख पर उसके हस्ताक्षर लिए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. कृष्ण कुमार (अ.सा.3) ने अभिसाक्ष्य दिया कि वह राजेंद्र प्रसाद मिश्रा और स्व. वी.के. मिश्रा सहित अभियुक्तों को जानता था। उसे घटना के बाद मृतक संतु दास के बारे में पता चला और वह जानता था कि वह ग्राम धौराभाठा का रहने वाला था। थाना घुमका बुलाए जाने पर, उसने देखा कि संतु दास हवालात में लटका हुआ था, उसकी धोती गर्दन के चारों ओर बंधी थी और दरवाजे से फंसी हुई थी, जबकि उसके पैर लगभग ज़मीन को छू रहे थे। उसने गौर किया कि एक अधिकारी द्वारा दरवाजे को थोड़ा हिलाने पर मृतक के पैर पूरी तरह से ज़मीन को छूने लगे और गर्दन पर फंदे का निशान दिखाई देने लगा। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक के मूत्र और गुदा द्वारों से कुछ स्राव हुआ था। वह निरीक्षण और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के दौरान उपस्थित था और उसने दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए थे। उसने स्पष्ट किया कि उसे उपस्थित होने के लिए पुलिस से केवल मौखिक सूचना मिली थी और पुलिस थाने की सभी कार्यवाही उचित रूप से लिखित रूप में दर्ज की गई थी।

18. ईश्वर सिंह (अ.सा.4), जो थाना घुमका के अंतर्गत आने वाले ग्राम के एक किसान हैं, ने कथन किया कि वह अभियुक्त रोहिणी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और स्व. वी.के. मिश्रा के साथ–साथ मृतक और शिकायतकर्ता हरिदास को भी जानते थे। दिनाँक 24.11.1985 को, वह गाँव के तालाब के पास थे, तभी उन्हें अनुविभागीय दंडाधिकारी राही द्वारा थाने बुलाया गया। पहुँचने पर, उन्होंने देखा कि संतुदास

हवालात में लटका हुआ था, उसकी धोती उसके गले में बँधी हुई थी और पैर ज़मीन को बमुश्किल छू रहे थे। उन्होंने मृतक के जननांग क्षेत्र पर चोट के निशान देखे और पाया कि मल–मूत्र का थोड़ा अंश बाहर निकला हुआ था। वह शव के आधिकारिक परीक्षण के दौरान उपस्थित था और उसने पंचनामा पर हस्ताक्षर किया। इस साक्षी ने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने वास्तविक मारपीट या फांसी तक ले जाने वाली घटनाओं को नहीं देखा था। मृतक को देखने से पहले उसने थाने के बाहर कुछ आवाजें सुनी थीं, लेकिन वह बोलने वालों की पहचान नहीं कर सका। उसने कथन किया कि न्यायिक अधिकारियों ने मृत्यु के कारण की कोई और जाँच नहीं की थी और वह इस बात से अनभिज्ञ था कि यह मृत्यु किसने कारित की। उसने यह भी पुष्टि की कि शवपरीक्षण से संबंधित औपचारिकताओं के समय, सभी साक्षी इस बात पर सहमत थे कि शव का चिकित्सीय परीक्षण किया जाना चाहिए।

19. रामदास जंघेल (अ.सा.5), निवासी ग्राम बोरामन बाना बुना, जिला राजनांदगांव ने कथन किया कि वह अभियुक्त वी.के. मिश्रा, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, रोहिणी प्रसाद मिश्रा के साथ–साथ मृतक संतुदास जंघेल और हरिदास को भी जानते थे। उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया कि दिनाँक 17/11/1985 को थाना प्रभारी घुमका, वी.के. मिश्रा और हवलदार राजेंद्र प्रसाद मिश्रा एक चोरी के संबंध में सरपंच के घर पूछताछ के सिलसिले में उनके घर आए थे। इस दौरान, कुछ वस्तुएं एक टेबल, एक पंखा और एक छोटा संदूक जब्त की गईं और संतुदास के नाम पर दर्ज की गईं। जब कोई वस्तु नहीं मिली, तो अभिलेख गलती से हरिदास के नाम पर बना दिया गया, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई। अ.सा.5 ने कथन किया कि तलाशी के दौरान संतुदास पुलिस से बचकर भाग गया था और बाद में रात करीब 11:00 बजे घर लौटा, और अपनी माँ को बताया कि पुलिस ने उसे शारीरिक नुकसान पहुँचाने की धमकी दी है। 21/11/1985 को रात लगभग 11:00 बजे राजेंद्र प्रसाद मिश्रा और चार आरक्षकों ने संतुदास के बारे में पूछताछ करने के लिए उनके घर का दौरा किया। अ.सा.5 ने स्पष्ट किया कि वह और उनके पाँच भाई अलग–अलग स्थानों पर रहते थे; केवल एक भाई बैलाडीला में रहता था, जबकि बाकी गौराभान में रहते थे। उस समय, वह पारसाकोल माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर पदस्थ थे और प्रायः चौराभादा आते–जाते थे। उन्होंने पुष्टि की कि जब संतुदास और हरिदास को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए घुमका थाना से राजनांदगांव ले जाया गया था, तब वह उनके साथ नहीं थे, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि दोनों को चोरी के प्रकरण में ले जाया गया था। दिनाँक 23/11/1985 को, उन्होंने उनके बारे में पूछताछ करने के लिए कई बार घुमका थाना का दौरा किया। दिनाँक 24/11/1985 के संबंध में, उन्हें सूचित किया गया कि संतुदास को थाना ले जाया गया है और बाद में उन्हें अनुविभागीय दंडाधिकारी राही साहब द्वारा हवालात में संतुदास का शव दिखाया गया। उन्होंने देखा कि शव धोती के एक हिस्से के सहारे गले से लटका हुआ था, पैर लगभग फर्श को छू रहे थे, आँखें और मुँह बंद थे, नाक से स्राव हो रहा था, और जननांग क्षेत्र में चोट और सूजन थी। अनुविभागीय दंडाधिकारी ने हुक से गर्दन तक धोती की लंबाई मापी, जो छह इंच थी, और गला घोंटने के संकेत देने वाले निशानों को नोट किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अ.सा.5 ने पुष्टि की कि उन्होंने ये चोटें देखी थीं, और राजनांदगांव अस्पताल में शवपरीक्षण किया गया था। उसने स्पष्ट किया कि वह अनुविभागीय दंडाधिकारी के आने से पहले हवालात में दाखिल नहीं हुआ था, बरामदे से हवालात के अंदर का हिस्सा नहीं देख सकते थे, और उस समय पंचनामा पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। उसने आगे स्पष्ट किया कि उनके पिछले कथनों में विसंगतियां तारीखों और समय के संबंध में स्मृति लोप के कारण थीं, लेकिन उसने सत्यापित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अधीन उनके कथन में नवंबर 1985 के दौरान पुलिस और अभियुक्तों की गतिविधियों, स्थानों और घटनाक्रमों का सही चित्रण है, जैसा कि उसने स्वयं देखा था।

20. लोकनाथ (ब.सा.1), ग्राम औरदा के कोटवार, थाना घुमका, ने अभिसाक्ष्य दिया कि घटना की रात वह घुमका थाना में ड्यूटी पर थे, जब हवलदार राजेंद्र प्रसाद मिश्रा द्वारा रात लगभग 9:00 बजे मृतक को हवालात में लाया गया था। उसने कथन किया कि उस रात थाने के भीतर उनके और गिरधारी कोटवार सहित दो कोटवार तथा आरक्षक मान सिंह ड्यूटी पर तैनात थे। मृतक को दोबारा हवालात में बंद करने से पहले एक होटल से लाकर भोजन दिया गया था। लोकनाथ और गिरधारी आधी रात तक बातचीत करते हुए जागे रहे और उसके बाद सो गए। घटना के बाद अगली सुबह, अपनी नियमित सफाई ड्यूटी के दौरान, उन्होंने देखा कि मृतक हवालात में लटका हुआ था। लोकनाथ ने इसकी सूचना मुंशी को दी और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया, जो वहाँ पहुँचे और शव को देखने के लिए हवालात खोला। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने केवल दूर से ही फांसी पर लटका हुआ देखा था और वे मृतक के पास नहीं गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रति–परीक्षण के दौरान, उसने पुष्टि की कि ड्यूटी की सभी प्रविष्टियाँ थाना रजिस्टर में दर्ज थीं, उस समय अभियुक्त प्रभारी अधिकारी थे, और उन्हें इस बात की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी कि मृतक की मृत्यु कैसे हुई। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वे अभियुक्तों के पक्ष में झूठा परिसाक्ष्य दे रहे हैं और कथन किया कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि फांसी किसने लगाई थी। साक्षी ने पुष्टि की कि उनका कथन उचित रुप से अभिलिखित किया गया था और उन्हें पढ़कर सुनाए जाने के बाद स्वीकार किया।

21. ईश्वर बालयादव (ब.सा.2) पिता पुसाऊ, निवासी ग्राम घुमका, ने अभिसाक्ष्य दिया कि उनके पिता गाँव में एक होटल चलाते थे। घटना के समय, वह व्यक्तिगत रूप से मृतक को नहीं जानते थे। जब वह लगभग 12–13 वर्ष के थे, तब उसने थाने में निरुद्ध व्यक्ति के लिए भोजन पहुँचाया था, जिसे उन्होंने घर लौटने से पहले एक मेज पर रख दिया था। अगली सुबह, उसने गाँव में शोर सुना कि मृतक हवालात के भीतर लटका हुआ पाया गया था। उसने स्पष्ट किया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि मृतक की मृत्यु कैसे हुई और उन्होंने इस प्रकरण की रिपोर्ट पुलिस या उच्च अधिकारियों को नहीं दी थी। प्रति–परीक्षण के दौरान, उसने इस बात को अस्वीकार किया कि वे अभियुक्तों के पक्ष में झूठा कथन कर रहा है और पुष्टि की कि उसका कथन जो उसे पढ़कर सुनाया गया, सही था।

22. सुखचैन दास (ब.सा.3), जो 1984–85 के दौरान थाना घुमका में भूतपूर्व आरक्षक के रूप में पदस्थ थे, ने अभिसाक्ष्य दिया कि उस समय वी.के. मिश्रा थाना प्रभारी थे और राजेंद्र प्रसाद मिश्रा तथा रोहिणी प्रसाद हवलदार के रूप में कार्यरत थे। उसने कथन किया कि मृतक को उसके बड़े भाई के साथ चोरी के एक प्रकरण के सिलसिले में थाने लाया गया था। जब उन्हें राजनांदगांव में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो मजिस्ट्रेट ने मृतक को पुलिस अभिरक्षा में और बड़े भाई को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। मृतक को उसी रात लगभग 10:00 बजे घुमका थाने की हवालात में वापस लाया गया, जहाँ सुखचैन दास और राजेंद्र प्रसाद ड्यूटी पर तैनात थे। अगली सुबह, उन्हें आरक्षक मान सिंह द्वारा सूचित किया गया कि मृतक हवालात में लटका हुआ पाया गया है। हवालात जाने पर, उन्होंने देखा कि मृतक लटका हुआ था और उसकी गर्दन पर फंदे का निशान था। सुखचैन दास ने कथन किया कि उन्हें इस बात की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है कि उनकी अनुपस्थिति में अभियुक्तों ने मृतक के साथ मारपीट की थी या नहीं, और उन्होंने विभागीय संबद्धता के कारण अभियुक्तों के पक्ष में कोई भी झूठा कथन देने से इनकार किया। उसने यह भी स्पष्ट किया कि वह घटना के दिन वास्तव में घुमका थाने में ही पदस्थ थे और पुष्टि की कि शवपरीक्षण प्रतिवेदन में गर्दन पर फंदे के निशान के अतिरिक्त किसी अन्य चोट का उल्लेख नहीं था। साक्षी ने पुष्टि की कि उसका कथन उन्हें पढ़कर सुनाया गया और उसने उसे सही स्वीकार किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. अभिलेख से यह स्पष्ट है कि मृतक घुमका पुलिस थाने के हवालात के भीतर लटका हुआ पाया गया था। डॉ. विजय कुमार अ.सा.6 के चिकित्सा साक्ष्य यह स्थापित करते हैं कि मृत्यु का कारण फांसी के कारण होने वाला श्वासावरोध था, और गर्दन पर फंदे के निशान के अतिरिक्त शरीर पर कोई अन्य बाह्य या आंतरिक चोट नहीं थी। सभी महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षियों (अ.सा.1 से अ.सा.5) का परिसाक्ष्य भी इस बात पर एकमत है कि शव खड़ी स्थिति में लटका हुआ पाया गया था, जिसमें धोती हवालात के दरवाजे से बंधी हुई थी। इस प्रकार, यह मृत्यु स्पष्ट रूप से आत्महत्या है।

24. महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304–क के अधीन उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इस धारा को आकृष्ट करने के लिए, यह अनिवार्य है कि अभियुक्त की ओर से किसी ऐसे उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण कृत्य का प्रमाण होना चाहिए जो मृत्यु का प्रत्यक्ष, सन्निकट और प्रभावी कारण हो, न कि केवल उसकी उपस्थिति की पृष्ठभूमि में होने वाली कोई घटना।

25. शिकायत में लगाए गए ये आरोप कि मृतक को प्रताडित किया गया, बिजली के झटके दिए गए और मारपीट की गई, चिकित्सीय साक्ष्यों द्वारा स्थापित नहीं हुए। शवपरीक्षण प्रतिवेदन स्पष्ट रूप से फंदे के निशान के अतिरिक्त किसी भी अन्य चोट या अस्थिभंग की संभावना को खारिज करती है। मृतक के भाई, हरिदास अ.सा.1 ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसने किसी भी व्यक्ति को मृतक की हत्या करते या उसे फांसी पर लटकाते हुए नहीं देखा था। अन्य साक्षियों (अ.सा.2–अ.सा.4) ने केवल मृतक

को हवालात के भीतर लटकी हुई स्थिति में देखा था, परंतु उन्होंने अपीलार्थी द्वारा उपेक्षा या मारपीट के किसी भी कार्य के संबंध में अभिसाक्ष्य नहीं दिया।

26. घटनास्थल संबंधित थाना का हवालात है और बचाव पक्ष के साक्षियों उक्त थाना के कोटवार और आरक्षक हैं। वे महत्वपूर्ण साक्षी हैं और उनके परिसाक्ष्यों को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना कि अभियोजन के साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को दिया जाता है।

27. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***महेंद्र सिंह व अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य, (2022) 7 एससीसी 157*** के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि बचाव साक्षियों के साथ भी वही व्यवहार किया जाना आवश्यक है, जो अभियोजन साक्षियों के साथ किया जाता है।

28. बचाव पक्ष के साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को देखने से यह संकेत मिलता है कि नियमित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया था। कोटवार, लोकनाथ (ब.सा.1) और ईश्वर बालयादव (ब.सा.2) दोनों ने अभिसाक्ष्य दिया कि घटना की पिछली रात मृतक को हवालात में भोजन पहुँचाया गया था। ड्यूटी पर तैनात आरक्षक, सुखचैन दास (ब.सा.3) ने पुष्टि की कि मृतक को मजिस्ट्रेट के आदेश से पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया था और सामान्य प्रक्रिया के अधीन हवालात में रखा गया था। उनके परिसाक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी ऐसे उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण कार्य का सुझाव देता हो जिससे आत्महत्या में सुगमता हुई हो।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. यह स्थापित विधि है कि सकारात्मक उपेक्षापूर्ण कृत्य के प्रमाण के बिना, केवल आत्महत्या को रोकने में विफलता मात्र से प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304–क के दायरे में नहीं आता है। मृतक न्यायिक रिमांड के अनुसरण में वैध अभिरक्षा में था। अपीलार्थी को केवल इसलिए प्रतिनिधि के रूप में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि घटना थाने में उसकी उपस्थिति में हुई थी। अनिवार्य सुरक्षा उपायों की उपेक्षा अथवा ऐसे किसी विशिष्ट कृत्य के साक्ष्य के अभाव में, जो प्रत्यक्ष रूप से आत्महत्या का कारण बना हो, आपराधिक दायित्व आरोपित नहीं किया जा सकता।

30. विचारण न्यायालय, अभिरक्षा में मारपीट के आरोपों पर अविश्वास करते हुए और अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 330 व 306 के अधीन गंभीर आरोपों से दोषमुक्त करने के पश्चात, किसी विशिष्ट उपेक्षापूर्ण कृत्य की पहचान किए बिना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304–क के अधीन दोषारोपरण नहीं कर सकता। जब मृतक द्वारा स्वेच्छा से फाँसी लगाने के कृत्य से कारण–कार्य की श्रृंखला टूट जाती है, तब धारा 304–क के अधीन सन्निकट उपेक्षा की आवश्यकता पूर्ण नहीं होती है।

31. इन परिस्थितियों में, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304–क के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि को यथावत नहीं रखा जा सकता है। समग्र रूप से साक्ष्य यह युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित नहीं करते हैं कि अपीलार्थी ने मृतक की मृत्यु का कारण बनने वाला कोई भी उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण कृत्य किया था।

32. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, अपील **स्वीकार** की जाती है। आक्षेपित निर्णय को अभिखण्डित किया जाता है, और अपीलार्थी को आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी जमानत पर है, और सजा के निलंबन के समय प्रस्तुत किए गए प्रतिभूति और व्यक्तिगत बंधपत्र, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 481 के अनुसार छह माह की अवधि तक प्रभावशील रहेंगे।

33. इस निर्णय की प्रतिलिपि सहित, विचारण न्यायालय का अभिलेख अनुपालन और आवश्यक समझी जाने वाली अग्रिम कार्रवाई हेतु संबंधित विचारण न्यायालय को अविलंब प्रेषित किया जाए।

सही/–

(बिभु दत्त गुरु)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**